

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 1396

दिनांक 30/05/24

प्रार्थी:-

1. वीजराजसिंह पुत्र वागसिंह
जाति राजपूत, निवासी घोनिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. वेरिसालसिंह 2. कमलसिंह 3. पदमसिंह पि. चोथसिंह
4. भवसिंह 5. पदमसिंह पि. पूनमसिंह 6. चुतरसिंह पुत्र राणसिंह
7. लखसिंह पुत्र वागसिंह, जाति राजपूत, निवासी घोनिया
तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।


राजस्व आवेदन सं. 53/2024

दिनांक : 30.05.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ढोक के मौजा घोनिया के खेत खसरा सं. 511/24 रकबा 02.2581 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।
प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे ।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 1397 to 1400

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी वीजराजसिंह
3. विप्रार्थीगण वेरिसालसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ / सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 30/05/24

